

ख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स

नम्बर वतारीख  
अहकामजो इस  
हुकमकी तामील  
में जारी हुए

20/10/22

पत्रवाली पेश उडा पत्रकार कि मौर ले  
कोई उपर नही। पत्रवाली उल्टर किए  
जाये के पत्रचात कर्षी कि तलवी हेतु  
नोटिस तलबाना काज दिनांतु तउ पेश  
नही किए जाये है। जबकि पत्रवाली के  
साथ नोटिस पेश किए जाते चाहिए थे।  
जबकि नियमाङ्क नोटिस तलबाना सात  
दिवस में पेश करने चाहिए थे। जिसे  
कमाल में उकरण के निद्वारण से 31/10/22  
दिलख हो रहा है। जिसे स्पष्ट है कि  
प्राथी डारा कार्ड प्ररुड 5 सी.पी.सी  
में दिये निर्देशों की पालना नही कि गई  
है जो अकहेलना की शैली में काना है।

अतः इस आधार पर तहरीरुंकर  
शीमाचोपुर (प्राथी) डारा उल्टु ह प्रार्थना पर  
नियम 14(घ) रा० प्र० रा० अधिनियम के  
कार्ड 9.25 सी.पी.सी. के तहत प्रा०पउ  
रकारीज रिपा जगवा है। पत्रवाली पुनः  
शुमार होकर नम्बर से कम होकर काबिउ  
दफ्तर हों।

(अनिल कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
एवं आ. जिला मजिस्ट्रेट  
नीमकाथाना (सीकर)

